संख्या:448/2016/5167जेएल/22-3-16-100(110)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2016***

विषय: जिला कारागार, उरई(जालौन) में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी शर्मा जी दुबे पुत्र श्री श्यामाचरन दुबे, निवासी जनपद-जालौन के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34944/सामा-1(3)/02 फतेहगढ़ मं0/2014, दिनांक 26-09-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, उरई(जालौन) में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी शर्मा जी दुबे पुत्र श्री श्यामाचरन दुबे, निवासी जनपद-जालौन को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, उरई(जालौन) द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:448/2016/5167जेएल(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, जालौन/फर्रूखाबाद।
2. पुलिस अधीक्षक, जालौन/फर्रूखाबाद।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, उरई(जालौन)/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in